न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–403/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00398)

01. छीतर पुत्र सुण्डा, जाति मीना, निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
02. शंकरलाल पुत्र गोदूराम, जाति मीना, निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
03. हनुमान सहाय पुत्र गोदूराम जाति मीना निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
04. सुन्दरी बेवा नाथूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
05. केसन्ता देवी पुत्री नाथू लाल, जाति मीना निवासी ग्राम कोटडा दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
06. विष्णु पुत्र नाथूलाल नाबालिंग जरिये सरंक्षक माता सुन्दरी देवी पत्नी नाथू लाल ग्राम कोटडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
07. अभिषेक पुत्र नाथू लाल नाबालिंग जरिये सरंक्षक माता सुन्दरी देवी पत्नी नाथूलाल निवासी ग्राम कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर।
08. पार्वती देवी पत्नी हनुमान मीना, जाति मीना, निवासी ग्राम कोटडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
09. दिलसुख पुत्र हनुमान मीना नाबालिंग जरिये सरंक्षक माता पार्वती देवी पत्नी हनुमान निवासी ग्राम कोटडा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. मोनिका पुत्री हनुनान मीना नाबालिंग जरिये सरंक्षक माता पार्वती देवी पत्नी हनुमान निवासी ग्राम कोटडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

—–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

—–रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 19.02.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 24.05.2017 (प्रकरण संख्या 63/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि की जो विधि विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों, सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने

गया है जिसमें स्वयं तहसीलदार आमेर के हस्ताक्षर मौजूद नही है तथा ना ही तहसीलदार आमेर द्वारा ऐसी कोई तथाकथित रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित ही नही की गई, केवल मात्र ग्राम पंचायत कोटडा के सरपंच द्वारा पटवारी हल्का दौलतपुरा से मिलीभगत करते हुये पूर्णत अवैध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 619/959 रकबा 0.10 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम तथा खसरा नम्बर 623 रकबा 3.06 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम के भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा उनके उक्त खसरा नम्बर में न तो मौके पर कोई कदीमी रास्ता उपलब्ध है तथा ना ही अपीलार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर में कभी भी कोई रास्ता कदीमी काल से ही रहा है तथा ना ही अपीलार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ही काम में आ रहे है तथाकथित पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह बेखुबी साबित है कि उक्त खसरा नम्बर 619/959 तथा खसरा नम्बर 623 निजी खातेदारी की आराजीयात है, उक्त रिपोर्ट में तथाकथित सरकार के निर्देशानुसार उक्त खसरा नम्बर में रास्ता निकालने का कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है और अन्यथा भी किसी भी अवस्था में निजी खातेदारी की आराजीयात में बिना कानूनी विधिक प्रक्रिया अपनाये ऐसा कोई आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा प्रदत्त नही किया जा सकता है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतः मनमाना पर्वस आरबीट्रेरी आदेश होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 619/959 व 623 के बाबत आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहत अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये अपीलार्थीगण प्रभावित भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार को बिना फरीकेन मुकदमा बनाये तथा बिना साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी अवस्था में ऐसा आदेश कानूनन पारित नही किया जा सकता इसलिये ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की तोहीन में पारित किया गया है जबकि अधीनसथ न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य था कि किसी निजी खातेदारी आराजी बाबत कोई आदेश सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर पारित किये जाने का कानूनी प्रावधान था अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 132 भू राजस्व अधिनियम तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 में वर्णित प्रावधानों तथा उन पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित जाकर अवैध अपीलाधीन साईक्लोस्टाईल निर्णय सादिर किया है, जो पूर्णरूपेण विधिक प्रक्रिया का उपहास है, किसी भी न्यायालय को किसी भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार की कृषि आराजी को खुर्द-बुर्द करने तथा रास्ता निकालने तथा अन्य कोई दुरूस्ती किसी तृतीय पक्षकार के निवेदन पर किये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का तथा ग्राम पंचायत की सिफारिस पर अपने अधीनस्थ ऑथोराईज सक्षम संस्था तहसीलदार आमेर से बिना कोई रिपोर्ट मंगवाये तथा [illegible] सीधे तौर पर अपीलार्थीगण की

राईक्लोस्टाईल प्रकार का कारण रहित युक्तियुक्त आदेश सम्पूर्ण प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये पारित किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मुतदाविया आराजीयात अपीलान्टस की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है और उक्त आराजी पर काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त आराजीयात में अपीलार्थीगण का कानूनी हक अधिकार निहत है इसलिये उनको उक्त अपील मे फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाते हुये साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त किया जावे, अपीलार्थीगण पूर्ण रूपेण प्रभावित पक्षकार है इसलिये न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपीलाधीन आदेश की अपील प्रस्तुती की ईजाजत क़ानून न्यायहित में प्रभावित पक्षकार होने के लिहाज से प्रदत्त किया जाना आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार फरमाया जावें, उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को कतई नही थी दिनांक 07.11.2018 को पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर में ग्राम पंचायत कोटडा के सरपंच के साथ मौके पर आकर अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर की ओर ईशारा करते हुये वार्तालाप कर रहे थे जिस पर अपीलार्थीगण ने उक्त वार्तालाप का कारण पूंछा तो उन्होने अपीलार्थीगण की आराजी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता काटने के आदेश जारी किये जाने की सूचना प्रदान करी जिस पर अपीलार्थीगण ने पटवारी से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी चाही तो पटवारी हल्का ने कई मर्तबा पटवार हल्का मु0 ... कर आदेश की प्रति देने का आश्वासन दिये किन्तु काफी निवेदन करने के पश्चात् अपीलार्थी को उक्त आदेश की प्रति पटवारी हल्का द्वारा नही दिये ... पर उपखण्ड अधिकारी आमेर के कार्यालय में दिनांक 14.11.2018 को ... आदेश की जानकारी करने की कोशिश की तो चुनावी प्रक्रिया के ... आदेश की जानकारी नही हो सकी अन्त में काफी कोशिश करने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26.11.2018 को ... कर अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है ... निवेदन है कि न्यायहित में भी प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ... नजर रखते हुय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपीलार्थीगण ... प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे तथा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2017 को अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 619/959 व खसरा नम्बर 623 ग्राम कोटडा तहसील आमेर जिला जयपुर के हिस्से तक निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

अवलोकन से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 619/959 व खसरा नम्बर 623 के अपीलान्ट के पूर्वज खातेदार काश्तकार अंकित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को भी कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2017 पारित किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी में अपीलान्ट्स के पूर्वज के नाम दर्ज रिकार्ड है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2017 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का तथा सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।